प्रेस नोट **दिनांक 11.03.2026**

छेडखानी व रेप का प्रयास करने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ एवं क्षेत्राधिकारी महोदय घोसी के नेतृत्व में दिनांक 11.03.2026 को थाना दोहरीघाट पुलिस देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर पुलिस बूथ कस्बा दोहरीघाट मु0अ0स0 42/2026 धारा 62/64/74 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह पुत्र अशोक सिंह सा0 डिहरा थाना दिनारा जनपद रोहतास बिहार को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 42/2026 धारा 62/64/74 बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

नाम पता गिरफ्तारसुदा अभियुक्त -

1. अरविन्द कुमार सिंह पुत्र अशोक सिंह सा0 डिहरा थाना दिनारा जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. हे0का0 विजय यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से फ्राड की गयी 27,292/- रु0 कुल धनराशि (साताइस हजार दो सौ बानबे) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोपागंज पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से फ्राड की गयी 27,292/- रु0 कुल धनराशि (साताइस हजार दो सौ बानबे), पीडित मनोज कुमार मध्येशिया पुत्र स्व0 सुभाषचन्द्र पता कोपागंज,मऊ। आवेदिक की कुल धनराशि 27,292 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व ₹ 5000 के अर्थदंड से हुए दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एएसजे प्रथम कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 11-03-2026 को मु0अ0सं0 624/2020 धारा 302 भा0द0वि0 थाना कोपागंज मे दोषसिद्ध अभियुक्त 1. हलचल राम पुत्र कुंवर राम निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹ 5000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री नन्दलाल (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी नरेन्द्र यादव का सराहनीय योगदान रहा।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में पुलिस लाइन में होली त्योहार सकुशल सम्पन्न कराने के उपलक्ष्य में बड़ा खाना का आयोजन किया गया तथा जनपद के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों और रिक्रूट आरक्षियों के साथ किया गया भोजन -

दिनांकः11.03.2026 को पुलिस लाइन मऊ श्री इलामारन जी पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में पुलिस लाइन में होली त्योहार सकुशल सम्पन्न कराने के उपलक्ष्य में बड़ा खाना का आयोजन किया गया तथा जनपद के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों और रिक्रूट आरक्षियों के साथ बैठकर किया गया भोजन । इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार,क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत, क्षेत्राधिकारी लाइन श्री दिनेश दत्त मिश्र, क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय सहित समस्त अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

साथ ही साथ होली त्योहार सकुशल सम्पन्न कराये जाने पर महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों/ थानाध्यक्षों के कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई ।